

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठारीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 29/2023

GCMS NO-2023/29

प्रार्थी
वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य वनाम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर।

- अप्रार्थी
1. श्री गोल्डी व्यास पुत्र श्री विपिन कुमार व्यास उम्र 33 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी रमेश टॉकिज के पास जैसलमेर (मौके पर विक्रेता एवं मालिक)
 2. मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर।
 3. जितेन्द्र कुमार रावशैना पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद उम्र 45 वर्ष मकान नं. 3115 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3 वल्लभमठ, फरीदाबाद, हरियाणा 121004। (नोगिनी)
 4. गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 602 ब्लॉक ए नवरंग हाउस, 21 केजी मार्ग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से गोल्डी व्यास उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक: 05.07.2023

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (1) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.12.2020 को दोपहर 02.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर पर विक्रेता गोल्डी व्यास पुत्र श्री विपिन कुमार व्यास उम्र 33 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी रमेश टॉकिज के पास जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर टोन्ड मिल्क क्वालिटी 01 लीटर के पैकेट रखे गिले जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वारंते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात टोन्ड मिल्क क्वालिटी 04 पैकेट 1 लीटर नमूने वारंते तोल कर दिया, जिसके पेटे 232/- रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा टोन्ड मिल्क क्वालिटी को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा वारंते परीरक्षक फॉर्मलीन की 40-40 बूंद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर थिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1083 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

हस्ताक्षर किरो एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलप एन-1083 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से ऊपर तक मोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलप ऊपर भागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह द्वारा शील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1083 टोन्ड मिल्क क्वालिटी लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढ़ाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढ़कर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना शील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना शील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में शील बन्द कर शील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को शुभन चौधरी के द्वारा दिनांक 21.12.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से शील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो शील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियाँ के आउटर कवर में शील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 21.12.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/1067-70 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1088/Act/2020/63 दिनांक 07.01.2021 अनुसार उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/8979 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1.श्री गौरव वासु पुत्र श्री परमानंद वासु उम्र 34 वर्ष निवासी गफुर भट्टा कच्ची बस्ती वार्ड 10 जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर 2.मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर 3. जितेन्द्र कुमार सवशैना पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद उम्र 45 वर्ष मकान नं. 3115 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3 वल्लभगढ, फरीदाबाद, हरियाणा 121004। (नोगिनी) 4. गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 602 ब्लॉक ए नवरंग हाउस, 21 केजी मार्ग कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली 110001 ने सबस्टैण्डर्ड टोन्ड मिल्क क्वालिटी का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही गिलावट पर अंकुश लग सकें।


अप्रार्थी सं. 01 से की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी 01 ने खाद्य पदार्थ टोन्ड मिल्क क्वालिटी की पैकिंग अवस्था में ही विक्रय करता है। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नहीं की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजिर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./1088/Act/2020/63 दिनांक 07.01.2021 अनुसार उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टैण्डर्ड स्तर के टोन्ड मिल्क क्वालिटी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2008 की धारा 28 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2008 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. श्री गौरव वासु पुत्र श्री परमानंद वासु उम्र 34 वर्ष निवासी गफुर भट्टा कच्ची बस्ती वार्ड 10 जैसलमेर (विक्रंता एवं मालिक) मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर 2. मैसर्स मदर डेयरी रमेश टॉकिज के पास, जैसलमेर 3. जितेन्द्र कुमार सक्शीना पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद उम्र 45 वर्ष मकान नं. 3115 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 3 वल्लभगढ, फरीदाबाद, हरियाणा 121004। (नोमिनी) 4. गुडहेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 602 ब्लॉक ए नवरंग हाउस, 21 केजी मार्ग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 फर्म के सवस्टैण्डर्ड स्तर का टोन्ड मिल्क क्वालिटी खाद्य पदार्थ के सवस्टैण्डर्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 04 पर 5,000/- अक्षर पांच हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। वाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर